

E-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या :- 17-आवंटन (योजना-0101)- 126 / 2020.....1194

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्ता,

शिवहर, मधुबनी, पश्चिम चम्पारण (बेतिया), सारण (छपरा), मुंगेर, दरभंगा, बेगूसराय, नालन्दा, शेखपुरा, जमुई, सीवान, पूर्वी चम्पारण (मोतीहारी), गोपालगंज, औरंगाबाद, सीतामढ़ी, बाँका, भागलपुर, पूर्णियाँ, अररिया, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, कटिहार, लखीसराय, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, खगड़िया, गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा, वैशाली (हाजीपुर) एवं समस्तीपुर।

पटना, दिनांक :- 10-03-2021

विषय :-

मुख्य शीर्ष- 2029-भू-राजस्व-उप मुख्य शीर्ष -00- लघु शीर्ष 102- सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य - उप शीर्ष -0101- सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य का पुनरीक्षण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में निधि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि आम नागरिकों को डिजिटल राजस्व मानचित्रों की आपूर्ति हेतु आपके जिलान्तर्गत अधिष्ठापित प्लॉटर से नक्शा मुद्रण संबंधित कार्य के लिए स्टेशनरी वस्तुओं के क्रय/मरम्मत हेतु उक्त बजट शीर्ष के अन्तर्गत ईकाई कोड संख्या- 13 01- कार्यालय व्यय मद में 44,20,000/- (चौवालीस लाख बीस हजार) रुपये मात्र का आवंटन निर्गत किया जाता है :-

क्र०सं०	कार्यालय का नाम	आवंटित राशि
1	2	3
1	शिवहर (सदर अंचल शिवहर)	1,00,000
2	मधुबनी (अंचल कार्यालय, झंझारपुर)	2,50,000
3	पश्चिम चम्पारण, बेतिया (अंचल कार्यालय, बेतिया)	2,50,000
4	सारण (छपरा), (सदर अंचल छपरा)	2,50,000
5	मुंगेर (सदर अंचल, मुंगेर)	2,00,000
6	दरभंगा	
	सदर अंचल	1,50,000
	बेनीपुर, अंचल	1,00,000
7	बेगूसराय (सदर अंचल, बेगूसराय)	5,00,000
8	नालन्दा (सदर अंचल, बिहार शरीफ)	1,20,000
9	शेखपुरा (सदर अंचल, शेखपुरा)	1,00,000
10	जमुई (सदर अंचल, जमुई)	1,00,000
11	सीवान (सदर अंचल, सीवान)	1,00,000
12	पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी (सदर अंचल, मोतिहारी)	1,00,000
13	गोपालगंज (सदर अंचल, गोपालगंज)	1,00,000
14	औरंगाबाद (सदर अंचल, औरंगाबाद)	1,00,000
15	सीतामढ़ी (सदर अंचल, डुमरा)	1,00,000
16	बाँका (सदर अंचल, बाँका)	1,00,000
17	भागलपुर (सदर अंचल, जगदीशपुर)	1,00,000
18	पूर्णियाँ (सदर अंचल, पूर्णियाँ)	1,00,000
19	अररिया (सदर अंचल, अररिया)	1,00,000

20	किशनगंज (सदर अंचल, किशनगंज)	1,00,000
21	मुजफ्फरपुर (सदर अंचल, मुसहरी)	1,00,000
22	कटिहार (सदर अंचल, कटिहार)	1,00,000
23	लखीसराय (सदर अंचल, लखीसराय)	1,00,000
24	मधेपुरा (सदर अंचल, मधेपुरा)	1,00,000
25	सुपौल (सदर अंचल, सुपौल)	1,00,000
26	सहरसा (सदर अंचल, सहरसा)	1,00,000
27	खगड़िया (सदर अंचल, खगड़िया)	1,00,000
28	गया (सदर अंचल, गया)	1,00,000
29	जहानाबाद (सदर अंचल, जहानाबाद)	1,00,000
30	अरवल (सदर अंचल, अरवल)	1,00,000
31	नवादा (सदर अंचल, नवादा)	1,00,000
32	वैशाली (हाजीपुर)(सदर अंचल, हाजीपुर)	1,00,000
33	समस्तीपुर (सदर अंचल, समस्तीपुर)	1,00,000
कुल योग :-		44,20,000

(चौवालीस लाख बीस हजार रुपये मात्र)

- यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक - 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं राज्यादेश संख्या 314 दिनांक 27.02.2019 के आलोक में निर्गत किया जाता है।
- अनुरोध है कि व्यय को आवंटन के अन्तर्गत रखते हुए राशि की निकासी की जाय।
- कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों को मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/ उप शीर्ष/इकाई कोड/माँग संख्या - 40 एवं विपत्र कोड 40 - 2029001020101 अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से करने होंगे ताकि अनियमितता की संभावना नहीं रहे।
- आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह तक नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
- बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा सकें।
- किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
- नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाणपत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
- इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को ही दी जा रही है।
- उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की माँग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
- आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

विश्वासभाजन

(जय सिंह)

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 17-आवंटन (योजना-0101)- 126/2020.....1194

पटना, दिनांक :- 10-03-2021

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

पटना, दिनांक 10-03-2021

E-Mail

ज्ञापांक - 17-आवंटन (योजना-0101)- 126/2020.....1194

प्रतिलिपि:- सभी संबंधित अपर समाहर्ता/अंचलाधिकारी/अनुमण्डलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि आवंटित की गयी राशि की निकासी अबिलम्ब करते हुए प्लॉटर की मरम्मत करके इसकी सूचना निदेशालय को शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय। प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

पटना, दिनांक 10-03-2021

ज्ञापांक - 17-आवंटन (योजना-0101)- 126/2020.....1194

प्रतिलिपि :- सुश्री सुरभि सिंह, आई0टी0 सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना को विभागीय वेबवार्ड पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित एवं श्री सुमन जी कपूर, निम्नवर्गीय लिपिक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण